कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

क्रमांक / 4475 / जीडीसी / मेटें. / 2025 रायपुर / दिनांक 13.11.25

कोटेशन सूचना

विषयः– महाविद्यालय में स्थापित ए.सी के वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किये जाने हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत करने के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है कि महाविद्यालय में स्थापित विभिन्न कंपनीयों (एल. जी., गोदरेज, हायर, लॉयड, पैनासोनिक, मीडिया इत्यादि) के ए.सी. 1, 1.5 एवं 2 टन में स्थापित है जिसका की वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किया जाना है। उक्त कार्य हेतु पंजीकृत, अधिकृत, एवं अनुभवी फर्म / कंपनी से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्रं.	सामाग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	यूनिट	मेक एवं प्रोडक्ट कोड	ईकाई दर रू. में	जी.एस.टी. %	ईकाई दर जी.एस.टी. सहित	कुल राशि
01	एयरकंडिशनर सी.एम.सी. व्यापक वार्षिक रखरखाव (मेक–एल.जी., गोदरेज, हायर, लॉयड, पैनासोनिक, मीडिया इत्यादि) सभी ए.सी. 1, 1.5 एवं 2 टनो में।	60-70						
नोटः– दर प्रति नग में ही प्रस्तुत करे संख्या में कमी वृद्वि की जा सकती है रखरखाव के पूर्व भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है।								

इस संदर्भ में वार्षिक रखरखाव की दर सील बंद लिफाफे में दिनांक 27 / 11 / 2025 शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा करे। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी। उक्त दिनांक को यदि कोई सामान्य / सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस के शाम 05:00 बजे तक की अवधि मान्य होगी। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तेः–

1. कोटेशन में जी.एस.टी. अलग से प्रस्तुत किया जावें।
2. ए.सी में खराब बदले जाने वाले पार्टस निर्माता कंपनी के ही होगे।
3. बदले जाने वाले पार्टस को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। बिल में जी.एस.टी.एन. सक्रिय (ACTIVE) होना अति आवश्यक है।
5. किसी भी फर्म की कोई भी शर्ते मान्य नही होगी। वार्षिक रखरखाव "जो है जैसा है के शर्त के आधार पर होगी"।
6. वार्षिक रखरखाव का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिती में रखरखाव ए.एम.सी. कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तथा उक्त अवधि के राशि भुगतान योग्न नहीं होगी निविदाकार द्वारा कोई भी दावा मान्य नहीं होगी।
7. वार्षिक रखरखाव की राशि का भुगतान 6–6 माह की अवधि में किया जायेगा जिसमें प्रथम भुगतान 6 माह सर्विस सत्यापन उपरांत तथा अंतिम किश्त अनुंबध समाप्ति के संतोषप्रदर सर्विस सत्यापन के उपरांत किया जावेगा।
8. वार्षिक रखरखाव (नियम एवं शर्ते सहित) के संबंध में आदेशित फर्म से 100रू मूल्य के गैर–न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर एकरानामा / अनुंबध किया जायेगा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में लिफ्ट के वार्षिक रखरखाव संबंधी उच्च गुणवत्ता का कार्य करने, सभी नियम एवं शर्ते मान्य होने तथा सी.एम.सी. अवधि 01 वर्ष होने इत्यादि का उल्लेख होगा।

09. सेवा अवधि के कार्य के दौरान किसी प्रकार की जान–माल की हानि के जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।
10. दर स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा कोटेशन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिती /अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा, जिसका कारण बताने के लिए कार्यालय बाध्य नहीं होगा। एल–1 अनुशंसित किये गये दर पर ही वार्षिक रखरखाव आदेश करने हेतु संस्था बाध्यकारी नहीं होगा, ए.एम.सी. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये शासकीय जेम पोर्टल या शासन द्वारा जारी अन्य गाईडलाईन अथवा अन्य प्लेटफार्म से कर्यादेष संपादित किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 13-11-2025
11:21:41

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर